न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 64/2021
GCMS NO. : 2021/104

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान फौत के का. मु.
1/1. नरपतसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति चारण निवासी ग्यास तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः.09/09/2021

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र सिंह बहारठ, अधिवक्ता वादीगण।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 01/06/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्यास पटवार हल्का बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 145 क्षेत्रफल 5.8760 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 137 क्षेत्रफल 0.0971हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 146 क्षेत्रफल 0.4128 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 154/1 क्षेत्रफल 4.7105 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसमें वादी अपने हक–हिस्से अनुसार मौके पर पिछले 30–40 वर्षो से शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि वादी के नाम लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले नाम कृपाकिशन के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम गोविन्दसिंह है। जबकि वादी के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में भी वादी का नाम गोविन्दसिंह दर्ज है तथा पेंशन विभाग द्वारा जारी पीपीओ एवं वादी के पुत्र नरपत सिंह के सम्पूर्ण दस्तावेज में भी पिता का नाम गोविन्दसिंह दर्ज है। वादी ने कुछ कृषि भूमि का बेचान किया था जिसके आम मुख्त्यारनामा में वादी का नाम कृपाकिशन उर्फ गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान बताया गया है एवं बेचान रजिस्ट्री पंजीयन किया गया। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वादी का नाम कृपाकिशन पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

दुर्गादान राजस्व रेकर्ड में मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है। इसकी जानकारी दिनांक 25.08.2021 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला। वादी का नाम कृपाकिशन पुत्र दुर्गादान जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में अपना सही एवं वास्तविक व दस्तावेजी नाम गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादी का नाम गलत होने से अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सह-खातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का कथन किया इसलिये सह-खातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है इसलिये सह-खातेदारों को प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इसलिए अनुमति बाबत धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 25.08.2021 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एव उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं अक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम ग्यास तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि सह-खातेदार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर में उपस्थित नहीं होने से ग्रामवासी ग्यास से वस्तुस्थिति/जानकारी प्राप्त की गयी। वादी का नाम गोविन्दसिंह सही होने से कृपाकिशन के बजाय ''गोविन्दसिंह'' शुद्धि किये जाने बाबत् पुष्टि की गयी। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में ''कृपाकिशन पुत्र दुर्गादान'' के स्थान पर संलग्न फर्द मौका जाँच राजस्व रिकार्ड में ''गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान'' शुद्धि किया जाना उचित है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान का एवं अन्य गवाह भवानीदान चारण पुत्र महेशदान, नारायणदान पुत्र हरलालदान एवं दरियावकंवर पत्नी दुर्गादान के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा०मि० है।

पत्रावली माननीय राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर, पाली के आदेशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प-2023 ग्राम पंचायत [illegible] पेश हुई। मजमा-ए-आम में वादी मय वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी/त[illegible] जैतारण की बहस सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहन [illegible] से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर [illegible]। ग्राम ग्यास की जमाबन्दी संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

2075–2078 (प्रदर्श–2) के खसरा नम्बर 145 क्षेत्रफल 5.8760 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 137 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नम्बर 146 क्षेत्रफल 0.4128 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 154/1 क्षेत्रफल 4.7105 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में 'कृपाकिशन पुत्र दुर्गादान' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। अतः प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादी गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 के अनुसार वादी ने यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर पिछले 30–40 वर्षो से शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में वादी के लाड प्यार के एवं घर के बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले नाम कृपाकिशन के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। वादी का सही एवं वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम गोविन्दसिंह है। वादी ने कुछ कृषि भूमि का बेचान किया था जिसके आम मुख्त्यारनामा में वादी का नाम कृपाकिशन उर्फ गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान बताया गया है एवं बैचान रजिस्ट्री का पंजीयन किया गया। वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम गोविन्दसिंह है जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का पहचान–पत्र, भामाशाह कार्ड आदि में भी यही दर्ज है। वादी ने वाद–पत्र में सशपथ यह कथन किये कि ''वादी का वास्तविक नाम गोविन्दसिंह है जबकि राजस्व रेकर्ड में कृपाकिशन दर्ज होने से वादी अपना किसान कार्ड, बैंक से ऋण भी नहीं ले पा रहे है।'' अन्य शहादत में गवाह भवानीदान चारण पुत्र महेशदान निवासी ग्यास तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह भवानीदान चारण ने अपने शपथ–पत्र पर सशपथ कथन किये कि ''मैं वादी (गोविन्दसिंह) को भलीभांति जानता व पहचानता हुँ। वादी गोविन्दसिंह मेरे गाँव का है। मेरे पडौस में रहता है। मैं उसे जन्म से जानता हुँ। वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम गोविन्दसिंह है।'' गवाह नारायणदान पुत्र हरलाल निवासी ग्यास हाल जैतारण का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 03 प्रस्तुत किया। गवाह नारायणदान ने अपने शपथ–पत्र पर सशपथ कथन किये कि ''मैं वादी (गोविन्दसिंह) को भलीभांति जानता व पहचानता हुँ। वादी गोविन्दसिंह मेरे छोटे भाई का बेटा है। मैं उसे जन्म से जानता हुँ। वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम गोविन्दसिंह है।'' गवाह दरियाव कंवर पत्नि दुर्गादान निवासी ग्यास तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 04 प्रस्तुत किया। गवाह दरियाव कंवर ने अपने शपथ–पत्र पर सशपथ कथन किये कि ''स्वर्गीय गोविन्दसिंह मेरा पुत्र था। मेरी व स्व. गोविन्दसिंह की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्यास में आई हुई है। गोविन्दसिंह का पूर्व में बोलचाल का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

नाम कृपाकिशन था। राजस्व रेकर्ड में कृपाकिशन नाम दर्ज है जबकि सही व दस्तावेजी नाम मेरे पुत्र का गोविन्दसिंह है।''

2. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–3ए (निर्वाचन विभाग का पहचान–पत्र), प्रदर्श–4ए (राशन कार्ड), प्रदर्श–1ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–5ए (नरपत सिंह का आधार कार्ड), प्रदर्श–6ए (नरपतसिंह का निर्वाचन विभाग का पहचान–पत्र), प्रदर्श–8ए (नरपतसिंह राशन–कार्ड) एवं प्रदर्श–7ए (सरपंच, ग्राम पंचायत बलाडा का प्रमाण–पत्र) उक्त दस्तावेजो में वादी नरपतसिंह के पिता का नाम गोविन्दसिंह है।

3. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि सह–खातेदार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 शिविर में उपस्थित नहीं होने से ग्रामवासी ग्यास से वस्तुस्थिति/जानकारी प्राप्त की गयी। वादी का नाम गोविन्दसिंह सही होने से कृपाकिशन के बजाय ''गोविन्दसिंह'' शुद्धि किये जाने बाबत् पुष्टि की गयी। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में ''कृपाकिशन पुत्र दुर्गादान'' के स्थान पर संलग्न फर्द मौका जाँच राजस्व रिकार्ड में ''गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान'' शुद्धि किया जाना उचित है।

इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा एवं वादी के शपथ–पत्र एवं गवाह स्वयं वादी गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान एवं अन्य गवाह भवानीदान, नारायणदान एवं दरियाव कंवर का शपथ–पत्र के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी गोविन्दसिंह के दस्तावेजात एवं वादी की मृत्यु के बाद वादी के पुत्र नरपतसिंह के दस्तावेजात में भी पिता का नाम गोविन्दसिंह दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 145 क्षेत्रफल 5.8760 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 137 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 146 क्षेत्रफल 0.4128 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 154/1 क्षेत्रफल 4.7105 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम ग्राम ग्यास पटवार हल्का बलाडा के भू–अभिलेख में दर्ज वादी गोविनदसिंह की प्रविष्टि कृपाकिशन पि0 दुर्गादान के स्थान पर दस्तावेजों में दर्ज नाम अनुसार सही एवं वास्तविक नाम गोविन्दसिंह है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि **'कृपादान पुत्र दुर्गादान'** दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर **'गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान'** किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्यास पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 145 क्षेत्रफल 5.8760 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 137 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 146 क्षेत्रफल 0.4128 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 154/1 क्षेत्रफल 4.7105 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के **भू–अभिलेख में** वादी का नाम ***कृपादान*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***'कृपादान पुत्र दुर्गादान'*** *के स्थान पर* ***'गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/06/2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प बलाडा में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण**
बईजलास :- **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-: वादी :- **बनाम** **-: प्रतिवादी :-**

1. गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान फौत के का.मु.
1/1. नरपतसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति चारण निवासी ग्यास तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0- 64/2021

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री महेन्द्रसिंह बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्यास पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 145 क्षेत्रफल 5.8760 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 137 क्षेत्रफल 0.0971हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 146 क्षेत्रफल 0.4128 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 154/1 क्षेत्रफल 4.7105 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के **भू-अभिलेख में** वादी का नाम ***कृपादान*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***'कृपादान पुत्र दुर्गादान'*** *के स्थान पर* ***'गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कोर्ट कैम्प बलाड़ा में आज तारीख 01/06/2023 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	2.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजान:-	10.00	मिजान:-	0.00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर सिर्फ खर्चा यह हो सकेगा लेकिन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:14 IST
Reason: SelfAttested